न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–17 / 2018
धारा–107 द०प्र०सं०
दुलाल कृष्ण चटर्जी वगैरह .....प्रथम पक्ष
बनाम
विपिन सिंह वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
05 / 11 /18	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–04 / 18 दिनांक–09 / 02 / 18 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद ढेला पेड़ की डाली को काटने को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि खाता संख्या–46 प्लॉट सं०–66 रकबा–24 डी० से संबंधित आर०एस० खाता के बकब्जे केशव चन्द्र चटर्जी दर्ज है। प्रस्तुत वंशावली के अनुसार प्रथम पक्ष दुलाल कृष्ण चटर्जी ,केशव चन्द्र चटर्जी के पोता है। उक्त प्लॉट में स्थित ढेला पेड़ की डाली को द्वितीय पक्ष के द्वारा काटा गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा नहीं बल्कि द्वितीय पक्ष के द्वारा शांतिभंग होने की संभावना है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि खाता संख्या–46 प्लॉट सं०–66 रकबा–24 डी० जमीन द्वितीय पक्ष ने 1967 ई० में खरीदगी किया है। तब से शांतिपूर्वक दखल कब्जा है एवं माल गुजारी रसीद अदा करते आ रहे है। वहाँ उनका मकान बना हुआ है, जो खपरैल का मकान है, पेड़ की डाली हवा देने से खपरैल गिर रहा था। खपरैल का बचाव हेतु द्वितीय पक्ष ने उक्त ढेला के डाली को छटनी किया। अतः द्वितीय पक्ष के द्वारा नहीं बल्कि प्रथम पक्ष के द्वारा शांतिभंग होने की संभावना है। प्रथम पक्ष गवाह संख्या–01 गुलाब अहीर ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि ढेला पेड़ वाले जमीन का रसीद सदानंद चटर्जी के नाम से कटता है। उसे मैं प्रथम पक्ष से सूना हूँ। ढेला पेड़ की डाली विपीन सिंह के छत के तरफ झुका हुआ था। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को डाली काटने से मना किया उसे मैं नहीं देखा। द्वितीय पक्ष विपीन सिंह ने डाली काटा है। केस चलने के बाद द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को धमकी दिया है, यह भी मुझे मालूम नहीं। उभय पक्ष में पहले भी लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह दुलाल कृष्ण चटर्जी ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि ढेला पेड़ का जमीन का रसीद मेरे पिताजी स्व० सदानंद चटर्जी के नाम से कटता है। जमीन और पेड़ मेरे दखल कब्जा में है। द्वितीय पक्ष मेरा ढेला पेड़ को काटा है, इसलिए केस किया। द्वितीय पक्ष को मना करने के समय मैं अकेला था। मेरे साथ द्वितीय पक्ष मार–पीट नहीं किया है। द्वितीय पक्ष के स्वतंत्र गवाह संख्या–01 किंकर सिंह ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि ढेला पेड़ की डाली विपिन सिंह के छत से सटा हुआ है। आँधी आने से छत को क्षति हो सकता है। मेरे घर से उभय पक्ष की घर की	

05/11/18

तिथि	आदेश	

दूरी लगभग 150 फीट है। दिनांक–08/02/18 को मैं घर पर था। उभय पक्ष में मेरे जानते हुए कभी झगड़ा नहीं हुआ था।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह विपिन सिंह ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि ढेला का पेड़ किसी का नहीं है, रास्ता में है। ढेला पेड़ की डाली मेरे छत पर आया है और झाड़ी बन गया है, इसलिए डाली काटे।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, पुलिस प्रतिवेदन, प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि ढेला पेड़ की डाली द्वितीय पक्ष के छत के उपर गया था, जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा काटा गया। डाली के काटने से दोनो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है। वर्त्तमान में दोनों पक्ष के बीच शांति बनी हुई है तथा शांतिभंग होने की सम्भावना की पुष्टि नहीं हो पायी है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/11/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

05/11/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:08:24 +05:30
Location: 192.168.43.107